क्रम-संख्या–229

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk;h ifjf'k"V
Hkkx–1] [k.M ¼d½
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] cgLifrokj] 26 fnlEcj] 2024
i©"k 5] 1946 'kd lEor~

mRrj çns'k 'kklu
fo/kk;h vuqHkkx&1

————

संख्या 501 / 79-वि-1–2024-1-क-24-2024
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

————

अधिसूचना
fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे पशुधन अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 17 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट छः गैर सरकारी सदस्य अर्थात्:–

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;

(दो) पांच व्यक्ति, जिनमें से दो कृषक होंगे और तीन राज्य में गायों के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े होंगे।''

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) अध्यायदेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999) गाय तथा गोवंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिये गो–सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 में उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें यह उपबंधित है कि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे। वर्तमान में गो–सेवा/गो–संरक्षण के बढ़ते आयामों तथा गोवंश की बढ़ती संख्या एवं समय–समय पर आने वाली कठिनाईयों/चुनौतियों के कारण, आयोग में दो अतिरिक्त गैर–सरकारी सदस्यों के पद का सृजन करके उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग का विस्तार/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। उपर्युक्त के दृष्टिगत एक उपाध्यक्ष सहित दो अतिरिक्त गैर–सरकारी सदस्यों का पद सृजित करने के लिये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया ।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 501(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-24-2024

Dated Lucknow, December 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Pashudhan Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GO-SEWA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024

(U.P. ACT No. 25 OF 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows-:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 17th day of September, 2024.

Amendment of section 4 of U.P. Act. no. 15 of 1999

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999,-

(a) in sub-section (1), *for* clause (i), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(i) six non-official members nominated by the Government from amongst the following persons, namely:-

(i) one representative of the Uttar Pradesh Goshala Sangh established under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964;

(ii) five persons of whom two shall be agriculturists and three shall be connected with voluntary organisations engaged in welfare, preservation and protection of cows in the State."

(b) in sub-section (2), *for* the words "Chairperson and the Vice-Chairperson", the words "Chairperson and two Vice-Chairperson" shall be *substituted*.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 15 of 2024

3. (1) The Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Act no. 15 of 1999) has been enacted to establish Go-Sewa Ayog for the preservation, development and welfare of cows and its progeny and to provide for matters related thereto or incidental thereto.

Section 4 of the aforesaid Act provides for the constitution of the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog. It provides that the Chairman and Vice-Chairman of the Commission shall be nominated by the Government from among the non-official members. At present, due to the increasing dimensions of cow service/cow conservation and the increasing number of cows and the difficulties/ challenges coming from time to time, it was felt necessary to expand/strengthen the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog by creating the post of two additional non-official members in the Ayog. In view of the above, it was decided to amend section 4 of the aforesaid Act to create the post of two additional non-official members, including one Vice-Chairman.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (U.P. Ordinance no.15 of 2024) was promulgated by the Governor on September 17, 2024.

The Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Vidheyak, 2024 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 393 राजपत्र–2024–(1071)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 172 सा0 विधायी–2024–(1072)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।